

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस
राजस्व अपील/225/रा.का.अधि./82/2016/बाड़मेर

रेस्पोंडेंटगण

1. टीकमाराम पुत्र हीराराम जाति कलबी निवासी मघाणी मेघवालों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।
1. सामी पुत्र होती उम्र 45 वर्ष
2. जोगी पुत्र होती उम्र 40 वर्ष
3. पूनमी पत्नी होती उम्र 70 वर्ष जाति रबारी निवासी रतनपुरा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।
4. नेथीराम पुत्र जेठाराम जाति कलबी निवासी मघाणी मेघवालों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।
5. शाखा प्रबन्धक, एसबीआई शाखा गुड़ामालानी।
6. तहसीलदार गुड़ामालानी

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान सहायक कलक्टर गुड़ामालानी बअनवान टीकमाराम बनाम सामी के विरुद्ध पेश हुई।

काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध राजस्व आवेदन संख्या 232/2016 में पारित निर्णय दिनांक 25.11.2016

उपस्थिति

1. वकील श्री गंगाराम विश्णोई अपीलान्ट की ओर से।
2. रेस्पोंडेंट बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक:- 27.06.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में आवेदन अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उतरदाता संख्या 1 से 6 को नोटिस जारी कर जबाब आवेदन हेतु दिनांक 25.11.2016 को नियत की गई, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 25.11.2016 को अपीलान्ट का अस्थायी निषेधाज्ञा का आवेदन अस्वीकार कर खारिज करने का आदेश पारित किया गया है। मौजा रतनपुरा तहसील गुड़ामालानी में प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 01 से 04 की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा संख्या 266/2 रकबा 01.12 बीघा का आया हुआ है जिसमें प्रार्थी का 1/2 हिस्सा तथा विप्रार्थी संख्या 1 से 4 का 1/2 हिस्सा खातेदारी का है। विधि का यह स्थापित नियम है कि कोई प्रकरण सुदृढ आधारों पर पेश हो और व्यक्ति के खातेदारी अधिकारों को प्रभावित करता है तो उस प्रकरण में भूमि के स्वामित्व को हस्तांतरण नहीं करने से रोका जाना चाहिये अन्यथा वाद की विषयवस्तु व विवादित आराजी के मौके व रिकार्ड के संबंध में पेचिदगियां बढेगी ऐसी स्थिति में भी आलोच्य आदेश

अपास्त किया जाकर विप्रार्थीगण को विवादित आराजी के मौके व राजस्व रेकॉर्ड की यथास्थिति रखने बाबत पांबदित किया जाना आवश्यक है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधिवक्ता अपीलांट की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा के आवेदन की निस्तारण न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग की श्रेणी में आता है। विधि का यह स्थापित नियम है कि कोई प्रकरण सुदृढ आधारों पर पेश हो और व्यक्ति के खातेदारी अधिकारों को प्रभावित करता है तो उस प्रकरण में भूमि के स्वामित्व को हस्तांतरण नहीं करने से रोका जाना चाहिये। उतरदाता संख्या 1 से 3, मौके पर अपीलांट को हिस्से व कब्जे काश्त से जबरन बेदखल करने हेतु प्रयासरत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के हितों की अनदेखी की गई है जबकि अपीलांट ने वादग्रस्त भूमि नकद प्रतिफल अदा कर खरीद कर राजस्व रेकॉर्ड में सहखातेदार रूप में दर्ज हो चुका है। अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जावे।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अपीलांट रेस्पोंडेंट की पुश्तैनी खातेदारी में वर्ष 2016 में जरिये विक्रय विलेख क्रेता के रूप में बतौर यह खातेदार दर्ज हुई है। इसमें पूर्व लंबे समय से रेस्पोंडेंट अपने-अपने हक-हिस्सों पर काबिज काश्त है जिसमें अपीलांट को दखल देने की छूट प्रदान करना कतई न्यायसंगत नहीं है। सहखातेदार के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने से उसे अपनी खातेदारी भूमि के अधिभोग/उपभोग के अधिकारों में हस्तक्षेप होता है। अपीलांट अपनी कब्जाशुदा एवं कब्जा प्राप्त भूमि की सीमा तक ही खातेदारी अधिकारों का उपभोग कर सकता है। मामला पृथमदृष्ट्या, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट के पक्ष में नहीं है, लिहाजा अपीलांट की अपील स्वीकार करने लायक नहीं है। अपील सारहीन होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.11.2016 को यथावत रखा जाता है।




(नखतदान बारहठ)

राजस्व अपील प्राधिकारी

बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 27.06.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



राजस्व अपील प्राधिकारी

बाड़मेर